दैनिक भास्कर
रायसेन 24-03-2022

घटना वाले दिन ईंट भट्टे पर बेटे के बदले पिता गया था सोने, इसी गफलत में की थी हत्या

बेटे की जगह पिता की हत्या करने वाले आरोपी को उम्र कैद

भास्कर संवाददाता | रायसेन

जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने हत्या के एक मामले में आरोपी करन सिंह धानक पुत्र वंशीलाल धानक निवासी भर्तीपुर को उम्र कैद की सजा सुनाई है। उक्त प्रकरण शासन के द्वारा चिन्हित एवं जघन्य सनसनीखेज मामला में से एक था। इस मामले में शासन की ओर से लोक अभियोजक ओमप्रकाश सोनी और जिला लोक अभियोजन अधिकारी अनिल कुमार मिश्रा द्वारा पैरवी की गई। अभियोजन पक्ष के अनुसार 28 मई 2021 को मलखान ने अपने पिता बाल किशन को सोने के लिए ईंट भट्टे पर भेज दिया था। दूसरे दिन बाल किशन की खून से लथपथ लाश मिली थी। पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद करन सिंह धानक के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज कर कोर्ट में उसे पेश किया था। लोक अभियोजक ओम प्रकाश सोनी ने बताया कि ईंट भट्टे पर रोजाना मलखान सोता था, लेकिन घटना वाले दिन उसका पिता बालकिशन सोने के लिए चला गया था। करन को मलखान पर उसकी पत्नी के साथ अवैध संबंध होने का शक था। इसी बात से नाराज करन सिंह धानक ने मलखान की हत्या की योजना बनाई थी और वह कुल्हाड़ी लेकर ईंट भट्टे पर पहुंचा और खटिया पर सो रहे बाल किशन पर मलखान समझ कर हमला कर दिया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। इस मामले की सुनवाई करने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी को यह सजा सुनाई है।